

3-1. वकील राजेश राजिंदर 14.0.17 को बंद  
द्वारे है मिसल दिनांक 23.3.17 को प्रेश हो।

23.3.17

पत्रावली प्रेश हुई वकील राजेश राजिंदर को बंद मिसल  
दिनांक 19-5-17 को प्रेश हो। 67

3.5.17 राजेश लोक अदालत  
आय आपके द्वारे अभियान 2017 को मिसल  
राजेश को बंद में लगी बंद हो दि. 13.5.17  
आय लल्लाई को बंद।

13.5.17

पत्रावली प्रेश हुई वकील लल्लाई राजिंदर को सुना गया।  
वकील लल्लाई को बंद को आगे चलाना नहीं चाहता है।  
हउ अधिकार सुरक्षित रखते हुए खासि करने की लल्लाई  
की है।

हमने पत्रावली का अपलोकन किया। लल्लाई को  
वकील की लल्लाई पर लल्लाई को लल्लाई का हउ  
अधिकार सुरक्षित रखते हुए खासि करने की लल्लाई  
प्रदान की जा रही है।

मिसल नंबर से मिसल होकर भुगतान  
किसल हो, बाद लल्लाई राजिंदर पकलर हो  
आदेश न्याय आपके द्वारे अभियान 2017  
मजमे आय लल्लाई से सुनाया गया।

उ. राजेश  
सदस्य  
लोक अदालत सिविल  
सरवाड (अजमेर)

67  
उ. राजेश  
लोक अदालत सिविल  
सरवाड (अजमेर)

उ. राजेश  
सदस्य 13.5.17  
लोक अदालत सिविल  
सरवाड (अजमेर)

2017,  
एक अधिकार  
सुरक्षित रखते  
हउ Note  
press  
विवादा  
13/5